न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 15/2017 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए बनाम तहसीलदार माण्डलगढ

1. श्री मोती लाल पिता देवा नन्दलाल पिता देवा मगना पिता गोपी नंदा मोती उदी पिता देवा बगती बेवा देवा रेगर सा0 गेणोली भंवरलाल अशोककुमार पिता मोतीलाल स्वर्णकार सा. माण्डलगढ

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.05.2019

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि मौजा गेणोली तहसील माण्डलगढ ने राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2010–12 के अनुसार आराजी नं. 199 रकबा 0.03 मंदिर/मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी श्री काल्या रामचन्द्र पिता धूला 1/3 महाराम रूघा पिता भवाना 1/3 बोला मथरालाल पिता रामनाथ ब्राह्मण 1/3 सा. माण्डलगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त ग्राम के नवीन बंदोबस्त में दौराने भूप्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन आराजी नं. 174 कीता 1 रकबा 0.10 कायम कर मंदिर मूर्ति का नाम हटाकर कालिया रामचन्द्र पिता धूला 1/3 पेमली बेवा महराम रूगा वल्द भवाना 1/3 बोला दामोदर लाल वल्द मथुरालाल 1/3 ब्राह्मण सा. माण्डलगढ के नाम दर्ज कर दी गयी। पूर्व बन्दोबस्ती रिकार्ड अनुसार स्पष्ट है कि यह भूमि मंदिर/मूर्ति की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिसे नवीन बंदोबस्त रिकार्ड में भी उक्तानुसार भू प्रबन्ध अधिकारी को इन्द्राज करना चाहिए था जो नही करके अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम इन्द्राज किया जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त भूमि मूलतः मंदिर/मूर्ति की है जिसे सदैव अवयस्क माना गया है। जिसको किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी अधिकारी द्वारा

अन्य व्यक्तियों के नाम पर रद्दोबदल नही किया जा सकता है। भू प्रबंध अधिकारी द्वारा यह इन्द्राज बिना किसी अधिकारों के नियमों के विपरीत किया गया है। अतः निवेदन है कि हाल आराजी नं. 174 कीता 1 रकबा 0.10 की भूमि अप्रार्थीगण के खाते से हटाये जाकर मंदिर/मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2017 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रार्थी की ओर से संशोधित प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज पेश किये।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2010 से 2012 अनुसार आराजी सं. 199 किता 1 रकबा 0.03 भूमि मंदिर/मूर्ति श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी काल्या रामचन्द्र पिता धूला 1/3 महाराम रूघा पिता भवाना 1/3 बोला मथरालाल पिता रामनाथ ब्राह्मण 1/3 सा. माण्डलगढ के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

भूप्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा संवत् 2022 अनुसार ग्राम गेणोली अनुसार के साबिक खसरा नम्बर 199 रकबा 0.03 बीघा के हाल आराजी नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा बने है। जिसमें भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मंदिर श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के बजाय कालिया रामचन्द्र पिता धूला 1/3 पेमली बेवा महराम रूगा वल्द भवाना 1/3 बोला दामोदर लाल वल्द मथुरालाल ब्राह्मण 1/3 सा. माण्डलगढ के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2028 से 2032 अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा में भी कालिया रामचन्द्र पिता धूला 1/3 पेमली बेवा महराम रूगा वल्द भवाना 1/3 बोला दामोदर लाल वल्द मथुरालाल ब्राह्मण 1/3 सा. माण्डलगढ के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा को नामा. सं. 282 दिनांक 23.01.1982 विरासत से रूगा वल्द भवाना के बजाय देवा पिता रूगा के नाम दर्ज कर दिया गया तथा नामा0 सं. 283 दिनांक 23.01.1982 विरासत से कालिया पिता धूला बोला के बजाय मोडी बेवा कालू बोला के नाम दर्ज कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 आराजी नं. 174 किता 1 रकबा 0.10 बीघा के दौरान नमा0 सं. 329 दिनांक 01.02.1983 विरासत से पेमली बेवा महराम के बजाय मांगी बेवा गोपी व नामा0 सं. 374 दिनांक 18.08.1983 विरासत से मांगी बेवा गोपी के बजाय मगना पिता गोपी के नाम दर्ज हुआ। नामा0 सं. 377 दिनांक 22.10.1983 से दामोदर लाल पिता मथुरालाल पिता कृष्णचन्द , प्रहलादराय, शिवकुमार, रघुनन्दन पिता दामोदर लाल के नाम दर्ज होकर इनके हिस्से 1/3 को नामा0 सं. 383 दिनांक 16.02.1984 बिकास से भंवरलाल , अशोक कुमार

पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ के नाम दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार रामचन्द्र पिता धूला की विरासत से नामा. सं. 679 दिनांक 11.08.1994 से मोडी बेवा कालू मोतीलाल पिता देवा बोला के नाम दर्ज हुआ। नामा. सं. 824 दिनांक 07.01.2002 विरासत से मोडी बेवा कालू के बजाय नन्दा मोती , उदी पिता देवा बगती बेवा देवा के नाम पर दर्ज किया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा में मु. मोडी बेवा कालूराम रामचन्द्र पिता धूला 1/3 मगना पिता गोपी देवा पिता रूघा 1/3 बोला सा. देह भंवरलाल अशोक कुमार पिता मोती लाल स्वर्णकार सा. माण्डलगढ में विरासत से रामचन्द्र के बजाय मु. मोडी बेवा कालू मोतीलाल पिता देवा 1/3 बोला एवं देवा के बजाय नन्दा मोती उदी पिता देवा बगती बेवा देवा रेगर सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा में मोडी बेवा कालू बोला का हिस्सा 1/6 को नामा0 सं. 1286 दिनांक 06.11.2012 डिग्री आदेश से नन्दलाल पिता देवा बोला (रेगर) के नाम दर्ज किया गया तथा नामा. सं. 1346 दिनांक 10.04.2013 से जाति बोला के बजाय सम्मानजनक जाति रेगर दर्ज की गयी।

इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 अनुसार में प्रतिवादीगण के नाम खाता मोतीलाल पिता देवा 1/6 मगना पिता गोपी नन्दा मोती उदी पिता देवा बगती बेवा देवा 1/6 बोला सा. देह भंवरलाल अशोक कुमार पिता मोतीलाल स्वर्णकार 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार में डिक्री आदेश से मोडी बेवा कालू बोला के 1/6 हिस्सा नन्दलाल पिता देवा 1/6 बोला सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाशस्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं

सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि जमाबन्दी संवत् 2010–2012 अनुसार आराजी सं. 199 रकबा 0.03 बीघा भूमि श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ के जमाबंदी संवत् 2010–2012 अनुसार खसरा नम्बर 199 कीता 1 रकबा 0.03 बीघा भूमि श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी काल्या रामचन्द्र पिता धूला 1/3 महाराम रूघा पिता भवाना 1/3 बोला मथरालाल पिता रामनाथ ब्राह्मण 1/3 सा. माण्डलगढ के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान राज्य के मिलान खसरा संवत् 2022 के साबिक आराजी नंम्बर 199 रकबा 0.03 बीघा के हाल आराजी नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा बने जिसमें श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह का नाम हटाकर कालिया रामचन्द्र पिता धूला 1/3 पेमली बेवा महराम रूगा वल्द भवाना 1/3 बोला दामोदर लाल वल्द मथुरालाल ब्राह्मण 1/3 सा. माण्डलगढ के नाम विधि विरूद्व दर्ज कर दी गयी। ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ की जमाबंदी संवत् 2028–32 के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 में भी उक्त भूमि कालिया रामचन्द्र पिता धूला 1/3 पेमली बेवा महराम रूगा वल्द भवाना 1/3 बोला दामोदर लाल वल्द मथुरालाल ब्राह्मण 1/3 सा. माण्डलगढ साकिन देह के नाम दर्ज चली आ रही है। ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा को नामा. सं. 282 दिनांक 23.01.1982 विरासत से रूगा वल्द भवाना के बजाय देवा पिता रूगा के नाम दर्ज कर दिया गया तथा नामा0 सं. 283 दिनांक 23.01.1982 विरासत से कालिया पिता धूला बोला के बजाय मोडी बेवा कालू बोला के नाम दर्ज कर दिया गया। ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 आराजी नं. 174 किता 1 रकबा 0.10 बीघा के दौरान नमा0 सं. 329 दिनांक 01.02.1983 विरासत से पेमली बेवा महराम के बजाय मांगी बेवा गोपी व नामा0 सं. 374 दिनांक 18.08.1983 विरासत से मांगी बेवा गोपी के बजाय मगना पिता गोपी के नाम दर्ज हुआ। नामा0 सं. 377 दिनांक 22.10.1983 से दामोदर लाल पिता मथुरालाल पिता कृष्णचन्द , प्रहलादराय, शिवकुमार, रघुनन्दन पिता दामोदर लाल के नाम दर्ज होकर इनके हिस्से 1/3 को नामा0 सं. 383 दिनांक 16.02.1984 बिकास से भंवरलाल , अशोक कुमार पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ के नाम दर्ज

कर दिया गया। इसी प्रकार रामचन्द्र पिता धूला की विरासत से नामा. सं. 679 दिनांक 11.08.1994 से मोडी बेवा कालू मोतीलाल पिता देवा बोला के नाम दर्ज हुआ। नामा. सं. 824 दिनांक 07.01.2002 विरासत से मोडी बेवा कालू के बजाय नन्दा मोती , उदी पिता देवा बगती बेवा देवा के नाम पर दर्ज किया गया। ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा में मु. मोडी बेवा कालूराम रामचन्द्र पिता धूला 1/3 मगना पिता गोपी देवा पिता रूघा 1/3 बोला सा. देह भंवरलाल अशोक कुमार पिता मोती लाल स्वर्णकार सा. माण्डलगढ में विरासत से रामचन्द्र के बजाय मु. मोडी बेवा कालू मोतीलाल पिता देवा 1/3 बोला एवं देवा के बजाय नन्दा मोती उदी पिता देवा बगती बेवा देवा रेगर सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। ग्राम गेणोली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 अनुसार खसरा नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा में मोडी बेवा कालू बोला का हिस्सा 1/6 को नामा0 सं. 1286 दिनांक 06.11.2012 डिग्री आदेश से नन्दलाल पिता देवा बोला (रेगर) के नाम दर्ज किया गया तथा नामा. सं. 1346 दिनांक 10.04.2013 से जाति बोला के बजाय सम्मानजनक जाति रेगर दर्ज की गयी। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 अनुसार में प्रतिवादीगण के नाम खाता मोतीलाल पिता देवा 1/6 मगना पिता गोपी नन्दा मोती उदी पिता देवा बगती बेवा देवा 1/6 बोला सा. देह भंवरलाल अशोक कुमार पिता मोतीलाल स्वर्णकार 1/3 सा. माण्डलगढ खातेदार में डिक्री आदेश से मोडी बेवा कालू बोला के 1/6 हिस्सा नन्दलाल पिता देवा 1/6 बोला सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ के साबिक खसरा नम्बर 199 कीता 1 रकबा 0.03 बीघा के हाल नम्बर 174 रकबा 0.10 बीघा जो श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम पर दर्ज थी जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुजारी के नाम विधि विरूद्व दर्ज कर दी गयी। जिसे पुनः विपक्षी मोतीलाल पिता देवा 1/6 नन्दलाल पिता देवा 1/6 मगना पिता गोपी नन्दा मोती उदी पिता देवा बगती बेवा देवा 1/3 रेगर सा. देह भंवरलाल अशोक कुमार पिता मोतीलाल स्वर्णकार सा. माण्डलगढ 1/3 खातेदार के नाम से हटाया जाकर श्री गिरधारी जी महाराज स्थान देह के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)